तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तारीख में जारी हुए
28-6-2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट बिजोलिया पर पेश है। वकील प्रार्थी उप./ पेशकार नायब तहसीलदार बिजोलिया उप./ जवाब प्रस्तुत। प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। प्रकरण का रिकॉर्ड पर निगरान हेतु अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र 136 रा. भू. रा. अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बिजोलिया की आराजी नम्बर 303/3 रकबा [illegible] बीघा भूमि लीलादेवी पत्नि कैलाश चन्द जैन के नाम दर्ज है प्रार्थिया का आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता फोटो पहचानपत्र में नाम लालीदेवी है। किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में लीलादेवी है। अतः लीलादेवी के स्थान लालीदेवी नाम शुद्ध करवाना चाहती है प्रार्थिया ने भूमि विक्रयपत्र दिनांक 8.12.2003 से क्रय की थी जिसमें नाम लीलादेवी दर्ज है अतः लालीदेवी नाम शुद्ध किया जाना उचित नहीं है। वकील प्रार्थी का तर्क है कि हर जगह प्रार्थिया का नाम लालीदेवी है अतः राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम शुद्धि करवाना चाहती है। पत्रावली के अवलोकन विक्रयपत्र से ज्ञात होता है कि प्रार्थिया ने वर्ष 2003 में भूमि क्रय की है जिसमें भी नाम लीलादेवी है अब भूमि का कृषक भी लीलादेवी के नाम से दर्ज है तो अब लालीदेवी किया जाना उचित नहीं है। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 136 रा. भू. अ. खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर [illegible] दाखिल हो	